बहु खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी - क्या करें

- **कुल हानि सीमा:**

कृपया नोट करें कि कुल हानि सीमा वह सीमा है जहाँ तक ईसीजीसी पॉलिसी के अंतर्गत कुल दावों पर विचार करेगा।

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी के अंतर्गत की कुल हानि सीमा आपके सभी खरीदारों के बकाया राशि के समकक्ष हैं। खरीदारों की पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत कारोबार मात्रा यदि बढ़ने की आकांक्षा हों तो कुल हानि सीमा बढ़ाएँ।

- **एकल हानि सीमा:**

कृपया नोट करें कि एकल (खरीदार) हानि सीमा कुल हानि सीमा के 10% प्रतिशत हैं।

यदि आपको खरीदार के खाते पर कुल हानि सीमा के 10% प्रतिशत से अधिक हानि सीमा की आवश्यकता हों तो खरीदार (एकल) ऋण जोखिम पॉलिसी प्राप्त करें।

- **पॉलिसी की वैधता:**

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी आपके पोतलदानों को संरक्षित करने के लिए हमेशा वैध है।

- **इकनेक्टिवीटी:**

पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध ईसीजीसी के डेटाबेस से ऑनलाइन जुड़ने के लिए अपना ग्राहक आई डी व पासवर्ड प्राप्त करें।

- **अग्रिम प्रीमियम:**

आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमा अधिनियम 1938 की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जोखिम के प्रारंभ होने से पूर्व बीमाकर्ता को प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए। ईसीजीसी अब इन प्रावधानों से बाध्य है कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा की वैधता के दौरान हर समय आप निम्नलिखित का अनुपालन करें :

हानि सीमा पर तिमाही/वार्षिक आधार पर अग्रिम प्रीमियम भेजें।

- **उन खरीदारों की सूची जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है:**

पोतलदान करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि खरीदार का नाम उस सूची में नहीं है जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है और जो ईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसे पॉलिसीधारक भी एक्सेस कर सके।

- **साख-पत्र खोलने वाले बैंकों के लिए सुरक्षा:**

नवीनतम बैंकर्स अल्मॅनक के अनुसार 25000 से अधिक विश्व रैंकिंग वाले साख-पत्र खोलने वाले बैंकों के लिए अलग से सुरक्षा प्राप्त करें।

- **प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों को पोतलदान:**

प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों को किए जाने वाले पोतलदानों के लिए अलग से सुरक्षा प्राप्त करें।

- **अतिदेय घोषणा:**

पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय से अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को अथवा उससे पूर्व अतिदेय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- **देय तिथि में विस्तार:**

सुनिश्चित करें कि खरीदार को देय तिथि में विस्तार देने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें, यदि ऐसे विस्तार द्वारा कुल भुगतान अवधि, पोतलदान की तारीख से 180 दिनों के भीतर ना रहें।

- **हानि कम करना:**

किसी पोतलदान का भुगतान न किए जाने की स्थिति में अथवा जोखिम को प्रभावित करने वाली किसी घटना के उत्पन्न होने पर नीचे दर्शाए अनुसार कार्रवाई कर हानि को कम करने के लिए कदम उठाएँ:

(क) यदि यह माल को स्वीकार न करने के कारण है तो माल की अभिरक्षा हेतु उसे बंधित मालगोदाम में रखने और वैकल्पिक खरीदार की खोज, बिलों को खरीदार के देश के नोटरी द्वारा नोट व प्रसाक्ष्यित करवाने, मूल खरीदार को पुनर्विक्री / पुनर्आयात / परित्याग आदि के लिए सूचना देने जैसे आवश्यक कदम उठाएँ।

(ख) यदि माल को स्वीकार करने के उपरांत भुगतान ना किया गया हों तो, खरीदार के देश के नोटरी द्वारा बिलों को नोट व प्रसाक्ष्यित करवाएँ और खरीदार के विरूद्ध कानूनी वसूली अधिकार बनाए रखें। ऋण वसूलीकर्ता एजेंट, खरीदार के देश में चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदेशों में भारतीय दूतावास आदि की सहायता प्राप्त करें। खरीदार के देश में स्थित ऋण वसूली एजेंटों से सूची प्राप्त करने के लिए निगम से संपर्क किया जा सकता है।

(ग) यदि उस खरीदार को जिसने पहले किए गए पोतलदानों जो पहले ही अतिदेय हो गए हैं, का भुगतान नहीं किया है, उसे आगे और पोतलदान करना है तो ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(घ) ईसीजीसी द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार हानि को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

दावा दाखिल करना:

दावे के अंतर्गत किए गए पोतलदान के लिए हानि अभिनिश्चित होने के उपरांत देय तारीख से किसी भी समय परंतु एक वर्ष के भीतर दावा दाखिल करें। यदि दावा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है तो दावा दाखिल करने में समय सीमा के विशिष्ट विस्तार हेतु इसका कारण बताते हुए ईसीजीसी से संपर्क करें।

वसूली कार्रवाई:

(क) ऋण की वसूली के लिए तत्काल व प्रभावी कदम उठाना। कृपया खरीदार पर वसूली अधिकार बनाए रखें। समय पर की गई कार्रवाई से वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) यदि भुगतान न किए जाने का कारण, खरीदार का दिवालियापन है, कृपया आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों के साथ सरकारी रिसीवर के पास अपना दावा दाखिल करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दिवालिया की परिसंपत्ति पर दावा रिसीवर द्वारा स्वीकार किया गया है।

(ग) ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में करना जिसमें ईसीजीसी द्वारा दावे का निपटान किया गया था।

बहु खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी - क्या न करें

- ईसीजीसी के डेटाबेस से जुड़ने के लिए ग्राहक आई डी व पासवर्ड लेना न भूलें।
- पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित तारीख के भीतर तिमाही प्रीमियम की किस्तें भेजना न भूलें।
- विदेशी खरीदारों/बैंकों को सुरक्षा देने के लिए बढ़ी हुई कुल हानि सीमा प्राप्त करना न भूलें।
- पोतलदान करते समय, निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीजीसी के प्रतिकूल अनुभव वाले खरीदारों की सूची की जाँच करना न भूलें और ऐसे खरीदारों को पोतलदान न करें।
- पोतलदानों के मामले में पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व अतिदेय की घोषणा प्रस्तुत करना न भूलें।
- खरीदार को पहले किए गए पोतलदान का भुगतान मूल देय तिथि के बाद भी यदि प्राप्त न हुआ हों तो ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना आगे के पोतलदान न करें।
- देय तिथि में 180 दिनों से अधिक विस्तार प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।
- भुगतान प्राप्त न होने या माल को स्वीकार न करने जैसा भी मामला हो, की स्थिति में खरीदार के देश में बिल को नोट व प्रसाक्ष्यित करना न भूलें (जहाँ ऐसा संभव न हो, उसे छोड़कर)।
- ईसीजीसी द्वारा सूचित किए जाने पर वसूली हेतु ऋण एजेंट की नियुक्ति करना न भूलें।
- (क) पुनर्विक्री के मामले में निगम का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें, यदि वैकल्पिक खरीदार को पुनर्विक्री के कारण होने वाली हानि, सकल बीजक मूल्य के 25% से अधिक हो।

  (ख) जहाँ वैकल्पिक खरीदार को पुनर्विक्री पर हानि सकल बीजक मूल्य के 25% से कम है, ईसीजीसी को सूचित करना न भूलें।

- (क) पुनर्पोतलदान के मामले में निगम का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें, यदि पुनर्पोतलदान के कारण कुल व्यय सकल बीजक मूल्य के 25% से अधिक हो।

  (ख) जहाँ पुनर्पोतलदान पर हानि सकल बीजक मूल्य के 25% से कम है, ईसीजीसी को सूचित करना न भूलें।

- माल के परित्याग हेतु ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।
- बकाया भुगतानों के संबंध में ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना खरीदार के साथ समझौता करार न करें।
- जब दावा दाखिल किया जाए, दावा फार्म में सूचीबध्द दस्तावेज प्रस्तुत करना न भूलें। यदि कोई संदेह हो, स्पष्टिकरण के लिए ईसीजीसी से बेहिचक संपर्क करें।
- खरीदार के विरुद्ध वसूली कार्रवाई करना व वसूली होने पर निगम के साथ वसूली की हिस्सेदारी करना न भूलें।

MULTI BUYER EXPOSURE POLICY – DO's

- **AGGREGATE LOSS LIMIT (ALL):**

Please note Aggregate Loss Limit is the limit up to which ECGC would consider total claims under the policy.

Ensure that the Aggregate Loss Limit under the policy is equivalent to the amount outstanding from all your buyers / banks. Seek enhancement of the Aggregate Loss Limit in case the volume of business on the buyers insured under the policy is expected to increase.

- **SINGLE LOSS LIMIT (SLL):**

Please note that Single (Buyer) Loss Limit is 10% of Aggregate Loss Limit. Seek Buyer (Single) Exposure Policy in case you require a loss limit of more than 10% of the Aggregate Loss Limit on account of a buyer/bank.

- **VALIDITY OF POLICY:**

Ensure the validity of policy period for covering your shipments always.

- **E-CONNECTIVITY:**

Obtain Customer ID and Password for on-line access to ECGC's database available for a policyholder.

- **ADVANCE PREMIUM:**

It is important for you to know that in terms of the Insurance Act 1938 an insurer should receive the premium before the commencement of risks insured. ECGC is now bound by these provisions please ensure that you comply with the following at all times during the validity of the cover.

Remit advance premium on the loss limit either quarterly / annually.

- **LIST OF BUYERS ON WHOM ECGC HAS HAD ADVERSE EXPERIENCE:**

Ensure before making shipment that the buyer's name is not appearing on List of buyers on whom ECGC has had adverse experience which is available on the website of ECGC.

- **COVER FOR LC OPENING BANK:**

Seek cover separately for the Letters of Credit opened by banks with a World Rank of more than 25000 as per latest Bankers Almanac.

- **SHIPMENTS TO RESTRICTED COVER COUNTRIES:**

Seek cover separately for the shipments to Restricted Cover countries.

- **OVERDUE DECLARATION:**

Submit the report of overdue on or before 15th of every month, declaring the payments which are overdue for more than 30 days as at the end of previous month.

- **EXTENSION IN DUE DATE:**

Ensure to take prior approval for granting extension in due date to the buyer, unless the total payment period by such extension remains within 180 days of the date of shipment.

- **LOSS MINIMISATION:**

In event of non-payment of any shipment or occurrence of any event affecting the risk take steps to minimize loss by initiating action as indicated below:

a. If it is due to non-acceptance of goods, steps such as arranging for safe custody of goods by moving it to a bonded warehouse, locating alternate buyer, getting bills noted and protested by a Notary in buyer's country, giving notice to the original buyer for re-sale/re import /abandonment etc. are to be initiated.

b. If it is due to non-payment for goods accepted get the bills noted and protested by a notary in buyer's country and maintain legal recourse against the buyer. Seek the assistance of a Debt Collection Agent, Chambers of Commerce in the buyer's country, Indian Consulates abroad etc. ECGC could be contacted for the purpose of obtaining a list of debt Collection agents in buyer's country.

c. ECGC's prior approval is to be obtained if further shipment(s) are to be made to a buyer who has not paid for the earlier shipments which have already become overdue

d. Take the necessary steps to minimize loss as advised by ECGC from time to time.

- **LODGEMENT OF CLAIM:**

File the claim at any time after the loss is ascertained but within one year from the due date of payment of the shipment under claim. If further time is required for filing the claim, please approach ECGC for specific extension in time for the claim along with the reasons thereof.

- **RECOVERY ACTION:**

a. Take prompt and effective steps for recovery of debt. Please maintain recourse against the buyer. Timely action ensures better recovery prospects.

b. If non-payment is due to insolvency of the buyer please file the claim with the official receiver with necessary information and documents. Please ensure that the claim is acknowledged by the receiver of the insolvent's estate.

c. In the event of recovery share the recovery with ECGC in the same ratio in which the claim has been settled by ECGC.

MULTI BUYER EXPOSURE POLICY – DON'TS

- Do not fail to obtain Customer ID and Password for access to the database of ECGC.
- Do not fail to remit the quarterly installments of premium within the dates prescribed under the policy.
- Do not fail to obtain enhanced Aggregate Loss Limit to cover the overseas buyers/banks.
- Do not fail to check the list of buyers on whom ECGC has had adverse experience at the time of shipment which is available on its web-site and do not make shipments to such Buyers.
- Do not fail to submit the report of overdue on or before 15th of every month, declaring the payments which are overdue for more than 30 days as at the end of previous month.
- Do not make further shipments without the prior approval of ECGC to a buyer if payments for earlier shipments made to that buyer remain unpaid after the original due date.
- Do not fail to obtain prior approval of ECGC for extension in due date beyond 180 days.
- Do not fail to get the bill noted and protested for non payment or non-acceptance in the buyer's country, as the case may be (excepting where this is not possible)
- Do not fail to engage a Debt Collection Agent for recovery when advised by ECGC.
- **a)** Do not fail to take the prior approval of ECGC in case of re sale, when the loss on account of re-sale to the alternate buyer exceeds 25% of the GIV.

  b) Do not fail to keep ECGC informed where the loss on re sale to the alternate buyer is less than 25% of the GIV.
- **a)** Do not fail to take the prior approval of ECGC in case of re shipment, when the total expenses on account of re shipment exceed 25% of the GIV.

  b) Do not fail to keep ECGC informed where the loss on re shipment is less than 25% of the GIV.
- Do not fail to obtain prior approval of ECGC for abandonment of goods.
- Do not enter into a compromise agreement with the buyer in respect of outstanding payments without the prior approval of ECGC.
- Do not fail to submit the documents listed in the claim form when claim is filed. When in doubt do not hesitate to contact ECGC for clarifications.
- Do not fail to initiate recovery action against the buyer and do not fail to remit to ECGC the amount so recovered.